"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 सितम्बर 2010—भाद्र 15, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

क्रमांक 24/चार/वि. स. उप-चु./2010/1156.—05-भटगांव विधान सभा उप चुनाव-2010 हेतु रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-लो.स./2008 एवं अधिसूंचना संख्या 434/छ.ग.-लो.स./2008 (1), दिनांक 04 सितम्बर, 2010 का राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर, 2010—13 भाद्रपद, 1932 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2008.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित तारीख 8 जुलाई, 2008 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2008 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 5-भटगांव के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी.

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (1)	रिटर्निंग आफिसर (2)
5-भटगांव	अपर कलेक्टर, सूरजपुर

आदेश से,

हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 4th September, 2010—13th Bhadrapada, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2008.—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission in consultation with the State Government of Chhattisgarh hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 434/CG-LA/2008, dated 8th July 2008.

In column 2 of the Table appended to the said notification in place of existing entries against item number 5-Bhatgaon the following entries will be substituted.

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
5-Bhatgaon	Addl. Collector, Surajpur

By order,

Sd/-
(K. AJAY KUMAR)
Secretary
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर, 2010—13 भाद्रपद, 1932 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2008 (1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित तारीख 8 जुलाई, 2008 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/छ.ग.-वि.स./2008 (1) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 5-भटगांव के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी.

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
5-भटगांव	1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सूरजपुर 2. तहसीलदार, सूरजपुर

आदेश से,

हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 4th September, 2010—13th Bhadrapada, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2008 (1).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 22 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 434/CG-LA/2008 (1), dated 8th July 2008.

In column 2 of the Table appended to the said notification, in place of existing entries against item number

5-Bhatgaon the following entries will be substituted.

TABLE

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
5-Bhatgaon	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Surajpur 2. Tahsildar, Surajpur

By order,

Sd/-
(K. AJAY KUMAR)
Secretary
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.